

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

ऊर्जा भवन, 'ए' ब्लॉक, शिवाजी नगर, भोपाल-462 016

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर, 2005

क्रमांक:2560/म.प्र.वि.नि.आ/2005 – विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 16 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा क्रमांक 1998 – म.प्र.वि.नि.आ – 2004 दिनांक 23 जुलाई, 2004 द्वारा अधिसूचित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (डीमड लायसेंसी सहित) के पारेषण अनुप्ति की शर्तों में परिवर्धन करता है।

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (डीमड लायसेंसी सहित) के पारेषण अनुप्तिधारी की शर्तों में परिवर्धन

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

(i) इन शर्तों को “पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (डीमड लायसेंसी सहित) के पारेषण अनुज्ञप्ति की शर्तों में परिवर्धन, 2005 (द्वितीय संशोधन)(क्रमांक एजी-11 (ii) वर्ष 2005)” कहा जावेगा।

(ii) ये शासकीय राजपत्र में इसकी प्रकाशन तिथि से लागू मानी जावेंगी।

(iii) इन शर्तों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा।

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (डीमड लायसेंसी सहित) के पारेषण अनुज्ञप्ति की शर्तों में उप-अनुच्छेद 15.2 के अन्त में निम्न उप अनुच्छेद जोड़ा जावे, अर्थात् :-

“15.3 अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 53 के उपबन्धों के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट सुरक्षा विनियमों का परिपालन करेगा।”

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, उपसचिव